

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठारीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केंद्र रामसर का कूआ

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
उगसराम पुत्र मानाराम जाति जाट		1. नारायणसिंह पुत्र मानाराम 2. डीराराम
निवासी धोनरी तालर तहसील व जिला		पुत्र पुराराम 3. जयशामाराम पुत्र मगाराम
बाड़मेर		4. मुलाराम पुत्र बस्ताराम 5. बगताराम
		पुत्र बस्ताराम 6. अशोक पुत्र
		शिवनारायण 7. जुगताराम पुत्र जाति
		माली निवासी धोनरी तालर रावतसर
		तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-95/2020 दिनांक-17.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा धोनरी तालर पटवार हल्का रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 260/3 रकबा 19.16 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अद किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 17/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6364-6367

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी रावतसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी उगसराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी धोनरी तालर तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी नारायणसिंह पुत्र मानाराम वगैरह जातियान जाट निवासीयान धोनरी तालर रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर